

मिडर रायकार  
राजरव एवं भूग्री सुधार विभाग  
(चकबंदी निवेशालय)

(3)

संख्या- 12/चक0-निवेश-09-03/16...../पक्ष0, पटना विनांक 19/01/2012

**भागीण उत्तराम नामालय/जिला नामालय कानून के अनुकूल में कामान में दिक्षा जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण आधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित कुल 180 पुराने अंचलों में चकबंदी योजना लागू किया गया। वर्तमान में कर्मियों/पदाधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार पुराने शाहाबाद जिले के 38 अंचलों एवं गोपालगंज जिले के एक कट्टेया अंचल में राष्ट्रिय सेवा से चकबंदी योजना संचालित किया जा रहा है। शेष 141 अंचलों जो मूलतः इतर विभार एवं पूर्ण विभार में अवस्थित हैं, में कर्मियों/पदाधिकारियों की कमी के कारण राष्ट्रिय रूप से चकबंदी योजना संचालित नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त असक्रिय अंचलों में जाह्न चकबंदी कार्यों का संचालन नहीं किया जा रहा है, वहाँ कई तरह के तकनीकी एवं कानूनी विवाद चत्पन्न हो रहे हैं, जिससे संविधित क्षेत्र की जनता का कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वर्तमान में उन क्षेत्रों में विहार विशेष राष्ट्रकान्प एवं बन्दोबस्तु अधिनियम, 2011 अधिसूचित हो चुका है एवं संवेदन तथा प्रारंभ हो चुका है।**

ऐसी स्थिति में विधि विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार शेष असक्रिय 141 अंचलों में से जिन अंचलों के राजस्व ग्रामों में चकबंदी योजना के अन्तर्गत चकबंदी की सभी संक्रियाएँ पूर्ण कर धारा 26(क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित कर दी गई हैं, वहाँ प्रावधानानुसार चकबंदी की कोई भूमिका नहीं रह गई है। इसके अलावे जिन असक्रिय अंचलों में चकबंदी योजना की सभी संक्रियाएँ समाप्त नहीं की जा चुकी हैं, वैसे जिलों/अंचलों में जनता के हितों को देखते हुए विहार जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3(1) से आच्छादित निम्नलिखित जिलों/अंचलों को चकबंदी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4(क) के प्रावधान के अधीन चकबंदी योजना के प्रचालन को अधिसूचना निर्गत की तिथि से रद्द करते हैं।

क्र0	जिला का नाम	अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत सूची में अंकित अंचलों के नाम धारा 4(क) के तहत रद्द करने हेतु अधिसूचित किया जाता है।
1.	वैशाली	हाजीपुर, विदुपुर, जन्दाहा, महनार, महुआ, गोरौल, लालगंज, वैशाली, पतेपुर, देरारी
2.	मुजफ्फरपुर	पारु, सरैया, साहेबगंज, बरराज, भोतीपुर, औराई, मुसहरी, बोचहा, मीनापुर, कुढ़नी, कँटी, कटरा, गायघाट
3.	समस्तीपुर	जितवारपुर, उजियारपुर, ताजपुर, सरायरंजन, पूसा, कल्याणपुर, विभूतिपुर
4.	सीतामढी	रुनीसैदपुर, वेलासण्ड, शिवहर, पिपराही, रीगा, भेजरगंज, बथनाहा, सोनवर्धा, परिहार, सुरसण्ड, पुपरी, वाजपटी, नानपुर, डुमरा
5.	अरसिया	अरसिया, फारविसगंज, रानीगंज, कुसाकाँटा, नरपतगंज, भरगामा,
6.	पूर्णिया	कृत्यानगर, पूर्णिया पूर्व, वायसी, कुसाकाँटा, रिकटी, कसवा, वैसी, अगोर, पलासी

क्र.सं.	जिला का नाम	अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत सूची में अंकित अंचलों के नाम धारा 1(क) के तहत रद्द करने हेतु अधिसूचित किया जाता है।
7.	किशनगंज	विशनगंज, दिघलबेंग, बहादुरगंज, कोचाधामनन, टेलगांठ, पोडिया, हावुरगंज, जोकीहाट
8.	कटिहार	कोङ्डा, फलका, वराकी, बलरामपुर, कदवा, वारसोइ, आजमनगर, प्राणपुर, कटिहार, अमादाबाद, मनिहारी
9.	भैंसरा	वृगंगाखण्ड
10.	ओरगाबाद	ओबरा, ओरंगाबाद, वारुण, रफीगंज, गोह, देव, नवीनगर, कुटुम्बा, मदनपुर, दाउदनगर, हसपुरा
11.	गया	इमामगंज, आमस, गुरुआ, परैया
12.	जहानाबाद	घोषी, करपी, कुर्था, अरवल, मखदुमपुर, काको, जहानाबाद
13.	भागलपुर	शंभूगंज, वाराहाट, बेलहर, धोरेया
14.	बाँका	बाँका, अमरपुर
15.	सुपौल	सुपौल, त्रिवेणीगंज, किशनपुर, पिपरा, बसंतपुर, राघोपुर, छातापुर
16.	सहरसा	कहरा, सिमरी, बिखियारपुर
17.	पश्चिमी चम्पारण	नौजन, वैरिया, मंझौलिया, चनपटेया सिकटी, रामनगर, मैनाटाढ़, नरकटियागंज, लौरिया, बगहा नं०-१, बगहा नं०-२, बेतिया गौनाहा, जोगापट्टी
18.	सिवान	भगवानपुर, गोरियाकोठी, बसंतपुर, मेरवा
19.	गोपालगंज	भोरे, विजग्पुर
20.	सारण	जलालपुर, गरखा, छपरा मुफकसिल, बनियापुर।
21.	नालंदा	हिलसा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*१०५५७/१०१/१८*  
सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-12/ चक्र-0-विविध-09-03/15..... 54 ..... /चक्र, पटना दिनांक 19/01/2018,  
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव, गजट शाखा, विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित) को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने  
एवं इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चक्रबंदी निदेशालय), पटना गो  
आपूर्ति करने हेतु प्रेषित।

*१०५५७/१०१/१८*  
सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-12/ चक्र-0-विविध-09-03/15..... 54 ..... /चक्र, पटना दिनांक 19/01/2018,  
प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत (मुजपकरपुर), भागलपुर, पूर्णिमा, सहरसा, गया, सारण, पटना/संबंधित सभी  
जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त निदेशक, चक्रबंदी/सभी उप निदेशक, चक्रबंदी/सहायक निदेशक,  
चक्रबंदी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*१०५५७/१०१/१८*  
सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग